

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक / **GWLLP 7452** / नगानि / 2021

ग्वालियर, दिनांक 30.04.2021 .

प्रति,

ब्लू लोटस लैण्ड एण्ड डेवलपर्स

पार्टनर— श्री महेश भरद्वाज, श्री रोहित बाधवा

श्री हरशुल अग्रवाल एवं श्री सुनील अग्रवाल

ब्लू लोटस कन्स्ट्रक्शन प्रा0लिमि0

श्री रोहित बाधवा, श्री शरद मंगल, श्रीमती चंचला मंगल

एवं श्री सुनील अग्रवाल

निवासी— कृष्णकुंज गांधी रोड, ग्वालियर (म0प्र0)

विषय— तहसील ग्वालियर के ग्राम डोगरपुर के सर्वे क्रमांक 51, 60मिन—क, 60मिन—3, 61, 62, 63, 67मिन, 67मिन—2, 71मिन—1, 75/2 मिन—1, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 99मिन—3, 103मिन—2, कुल किता—21 कुल रकवा 49585.0 वर्गमीटर भूमि पर नियोजन अनुज्ञा बाबत।

संदर्भ— आपका आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2020

संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित विकास कार्यो को क्रियान्वित करने हेतु आपको एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(5)(क) एवं 27(1) एवं ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग के तहत ग्राम डोगरपुर के सर्वे क्रमांक 51, 60मिन—क, 60मिन—3, 61, 62, 63, 67मिन, 67मिन—2, 71मिन—1, 75/2 मिन—1, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 99मिन—3, 103मिन—2, कुल किता—21 कुल रकवा 49585.0 वर्गमीटर पर आवासीय कालोनी अभिन्यास की स्वीकृति निम्नलिखित निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जाती है।

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्तों) नियम 1998 के तहत आयुक्त नगरनिगम ग्वालियर से कालोनाइजर लायसेंस प्राप्त करने एवं विकास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना अनिवार्य होगा। तथा उक्त नियमों में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन कराने की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होगी।
2. म0प्र0 भूमि विकास नियम—2012 के नियम 50 के अंतर्गत जल स्रोत से दूरी छोड़कर ही भवन निर्माण अनुज्ञा नगर निगम द्वारा दी जावे।
3. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम—2012 के नियम—31 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. नजूल अधिकारी झांसी रोड ग्वालियर के पत्र क्रमांक 79 दिनांक 26.09.2020, पत्र क्रमांक 57 दिनांक 25.06.2019, पत्र क्रमांक 769 दिनांक 25.06.2010, पत्र क्रमांक 1034 दिनांक 09.08.2010, पत्र क्रमांक 557 दिनांक 29.04.2010 एवं पत्र क्रमांक 128 दिनांक 05.01.2010 द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किये गये हैं।
5. पार्क हेतु आरक्षित क्षेत्र एवं मार्गों के दोनों ओर 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार (भूखण्डों के लिये वृक्षारोपण के अतिरिक्त) वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा तथा पार्क एवं मार्गों का विकास कर उसे नगर निगम ग्वालियर को निशुल्क हस्तान्तरित करना होगा। पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerendra Kumar Sharma
Date: 2021.04.30 16:39:18 IST

6. अनुमोदित मानचित्र को भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं माना जावे। भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. वर्तमान मार्ग की चौड़ाई 12.0 मीटर है। अतः प्रस्तावित मार्ग 12.0 मीटर छोड़कर भूखण्ड रेखा मान्य होगी।
8. प्रत्येक 100 मीटर क्षेत्रफल के मान से भवन निर्माण पूर्ण होने पर एक वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
9. यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी तथा प्रभावशील अवधि के अंदर आवेदन करने पर अधिकतम पांच वर्ष तक के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
10. विद्युत प्रवाह की व्यवस्था एम0पी0एम0के0वि0वि0 कारपोरेशन लिमि0 ग्वालियर के अनुसार करना होगी।
11. म0प्र0 नगर पालिका निगम/नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कालोनाइजर द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए 12. प्लॉट एवं कमजोर आय वर्ग के लिए 18 प्लॉट नियमानुसार प्लॉट का प्रस्ताव सुनिश्चित किया जावेगा।
12. विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधायें जैसे— जल प्रदाय, मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, पुलियों का निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि सुविधायें अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा।
13. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
14. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 5 X 4 फिट साईज के बोर्ड पर भी मानचित्र अंकित कर उसे लगाया जायेगा।
15. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में तथा अन्य किसी उपयोग किये जाने पर यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि —

म0प्र0 भूराजस्व संहिता, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 एवं 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका,

कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन एवं शर्तें नियम—1998 तथा अन्य अधिनियमों / नियमों के अंतर्गत कोई अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य हो तो वह लेना होगी तथा उसमें आरोपित शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।

संलग्न— अनुमोदित अभिन्यास की प्रति।

**संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)**

पृ0क्रमांक / **7452** / नग्नानि / 2021

ग्वालियर, दिनांक 30.04.2021

प्रतिलिपि—

1. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी प्रकोष्ठ, नगर पालिका निगम जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. तहसीलदार ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि पार्क एवं सड़क तथा सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि का क्षेत्र खसरा फार्म में सार्वजनिक उपयोग हेतु अंकित करने एवं कालम 12 में मानचित्र अनुमोदित लिखने का कष्ट करें।

संलग्न— अनुमोदित अभिन्यास की प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerendra Kumar Sharma

Date: 2021.04.30 16:39:18 IST

**संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)**